

ए.12018/2/2013-एम.एच II/एन.सी.डी.I  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
एनसीडी-1

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में  
छात्रावास वार्डन पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं.  
एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल  
भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में छात्रावास वार्डन  
पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव  
देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30  
दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य  
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं  
परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.  
110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते  
s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।

  
(आर बी कुशवाहा)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन नं 0 011-23061342

नई दिल्ली, तारीख:

2021

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में छात्रावास वार्डन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, छात्रावास वार्डन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता:** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पती जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पती के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुमति**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छात्रावास म वार्डन	01*(एक.) (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	माध्यारण केन्द्रीय सेवा, ममूल 'ब', अराजपत्रित, अननुमतिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपए)	तागू नहीं होता।	30 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक अर्हता: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री। (ii)किसी सरकारी छात्रावास या महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान/संगठन या अधिग्राहन में वार्डन/छात्रावास अधीक्षक/कैप्यरटेकर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। वांश्वर्णीय अर्हता: प्रशासनिक अनुभव को वरीयता दी जाएगी।

मीठी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोलन्त व यन्त्रियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि लोई हो	भर्ती की पद्धति: मीठी भर्ती या प्रोलन्ति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोलन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे व्येणियां जिनसे प्रोलन्ति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोलन्ति समिति है, तो उसकी सरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा महिन) जिसके न हो सकने पर मीठी भर्ती द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय/राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में छह वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस स्तर में दस वर्षों की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) जो सम्बन्ध 7 के अधीन मीठी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहंताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या नियसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से टीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाली पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	<p>समूह 'ब' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) नियमित रूप से बनेगी:-</p> <p>(1) अपर निदेशक, अधिकारी भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -अध्यक्ष;</p> <p>(2) परामर्शदाता (एनस्पीसिया), अधिकारी भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -मदरस्य;</p> <p>(3) उप निदेशक, अधिकारी भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -मदरस्य;</p> <p>(4) प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारी भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई -मदरस्य।</p>	आवश्यक नहीं है।

[ए.12018/2/2013-एमएच ॥]

धन्मन्दे  
(महाराष्ट्र राज्य)

अवर सचिव, भारत सरकार